# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष– 05966–222722, 0135–2759799
ई–मेल– **missionhortiuk@gmail.com**

पत्रांक 811 / कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण / 2023–24 दिनांक, जून 14 2023

## संशोधित विज्ञप्ति

नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेन्टीलेटेड) में सब्जी एवं फूलों की खेती हेतु उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में कास्तकारों को पॉलीहाउस एवं सब्जी / पुष्प पौधों से लाभान्वित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 752 / कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण / 2023–24, दिनांक 03.06.2023 से विभिन्न समाचार पत्रों में अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों / कम्पनियो / संस्थाओं से पॉलीहाउस की दरों एवं विशिष्टियों व सब्जी / पुष्प उत्पादक पौधालयों / फर्मों / कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों का पंजीकरण किये जाने हेतु **पॉलीहाउस निर्माता** फर्मों / कम्पनियों / संस्थाओं व **सब्जी / पुष्प पौध उत्पादक** पौधालयों / फर्मों / कम्पनियों से **पृथक–पृथक** आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं।

आवेदन के सील बंद लिफाफों को दिनांक 28.06.2023 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किये जाने थे तथा आवेदन के सील बंद लिफाफे दिनांक 29.06.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे विभागीय गठित समिति के द्वारा खोला जाना था। उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्धारित तिथियों एवं शर्तों को अपरिहार्य कारणों से **संशोधित किया जाता है**। पंजीकरण हेतु आवेदन अब दिनांक 10.07.2023 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय–निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आवेदन जमा किये जायेगें, **जिन्हें दिनांक 11.07.2023 (अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में) को पूर्वान्ह 11:00 बजे विभागीय गठित समिति के द्वारा खोला जायेगा तथा दिनांक 13.07.2023 को विभागीय समिति द्वारा फर्मों / कम्पनियों के स्वामियों / प्रतिनिधियों से दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु बैठक की जायेगी।** अतः संशोधित विज्ञप्ति सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। आवेदन के प्रारूप, संशोधित शर्तें, पॉलीहाउस की विशिष्टियां व सब्जी / पुष्प पौधों के पंजीकरण की संशोधित शर्तें, प्रारूप आदि विभाग की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

प्रभारी अपर निदेशक
कृते– निदेशक
उद्यान

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष– 05966–222722, 0135–2759799

ई–मेल– **missionhortiuk@gmail.com**


पत्रांक 811 /कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण/2023–24 दिनांक, जून 14 2023

## संशोधित विज्ञप्ति

नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेन्टीलेटेड) में सब्जी एवं फूलों की खेती हेतु उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में कास्तकारों को पॉलीहाउस एवं सब्जी/पुष्प पौधों से लाभान्वित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 752/कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण/2023–24, दिनांक 03.06.2023 से विभिन्न समाचार पत्रों में अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों/कम्पनियो/संस्थाओं से पॉलीहाउस की दरों एवं विशिष्टियों व सब्जी/पुष्प उत्पादक पौधालयों/फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों का पंजीकरण किये जाने हेतु **पॉलीहाउस निर्माता** फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं व **सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक** पौधालयों/फर्मों/कम्पनियों से **पृथक–पृथक** आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं।

आवेदन के सील बंद लिफाफों को दिनांक 28.06.2023 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किये जाने थे तथा आवेदन के सील बंद लिफाफे दिनांक 29.06.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे विभागीय गठित समिति के द्वारा खोला जाना था। उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्धारित तिथियों एवं शर्तों को अपरिहार्य कारणों से **संशोधित किया जाता है।** पंजीकरण हेतु आवेदन अब दिनांक 10.07.2023 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय–निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आवेदन जमा किये जायेगें, **जिन्हें दिनांक 11.07.2023 (अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में) को पूर्वान्ह 11:00 बजे विभागीय गठित समिति के द्वारा खोला जायेगा तथा दिनांक 13.07.2023 को विभागीय समिति द्वारा फर्मों/कम्पनियों के स्वामियों/प्रतिनिधियों से दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु बैठक की जायेगी।** अतः संशोधित विज्ञप्ति सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। आवेदन के प्रारूप, संशोधित शर्तें, पॉलीहाउस की विशिष्टियां व सब्जी/पुष्प पौधों के पंजीकरण की संशोधित शर्तें, प्रारूप आदि विभाग की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

प्रभारी अपर निदेशक
कृते– निदेशक
उद्यान

☎ कार्यालय / फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलः**missionhortiuk@gmail.com**

# निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
# उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

## उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित / संकर प्रजाति सब्जी पौधों / पुष्प पौध (Open Pollinated/Hybrid Plants) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मान्यता प्राप्त / लाईसेन्स धारक पौधालयों व सब्जी / पुष्प पौध उत्पादक फर्मों / कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की संशोधित शर्तें

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ में संचालित विभाग में संचालित केन्द्रपोषित, नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत छोटे पॉलीहाउस की योजना, राज्य सैक्टर व जिला योजनान्तर्गत कास्तकारों को उच्चगुणवत्तायुक्त सब्जी / पुष्प पौंध से लाभान्वित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 752 / कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण / 2023–24, दिनांक 07.06.2023 से विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक / NHB से मान्यता प्राप्त पौधालयों व **सब्जी / पुष्प पौध उत्पादक फर्मो / कम्पनियों** की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित किये गये है। इस कार्यालय के **पत्रांक 752 / कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण / 2023–24, दिनांक 07.06.2023 से प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित तिथियों एवं शर्तों को अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी / पुष्प पौधों के पंजीकरण हेतु संशोधित शर्तें निम्नानुसार हैः–**

1. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1 / 122065 / 10(07)2023, दिनांक 15.05.2023 एवं शासनादेश संख्या 502/XIII-3/23/10(07)2023 TC, दिनांक 12.06.2023 के परिपालन में नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेन्टीलेटेड) में सब्जी एवं फूलों की योजना का क्रियान्वयन शासनादेश में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 31.03.2026 तक के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं।
3. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद रू0 2.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2026 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। **आवेदन के प्रारूप तकनीकी प्रपत्र–1** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18% GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड़ के नाम रानीखेत, अल्मोडा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।
5. **वित्तीय प्रपत्र–2 को** अलग लिफाफे में जो मुहर बन्द हो, को आवेदन के साथ जमा करना होगा। प्रपत्र–2 के बंद लिफाफे में दरों का विवरण साफ्ट कॉपी (पैन ड्राइव में) में भी रखना आवश्यक है।
6. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें विभागीय वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

7. **आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) के पंजीकरण हेतु आवेदन'' अंकित हो, आवेदन दिनांक 10.07.2023 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून मे जमा किये जा सकते है।**

8. विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा **दिनांक 11.07.2023 (अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में) को प्रातः 11:00 बजे** पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा। पौधालयों/फर्मों/कम्पनियों के स्वामी/प्रतिनिधियों से **दिनांक 13.07.2023 को मोल-भाव (Negotiation) किया जायेगा।**

9. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) से मान्यता प्राप्त (Accredited) व राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौंधालयों व सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में सम्बन्धित नर्सरी/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

10. पंजीकृत पौधालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एंव नियमों का पालन करना होगा।

11. आवेदन प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, आवेदन के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) का साहित्य संलग्न न किया जाय। पौंधालयों/फर्मों/कम्पनियों के द्वारा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।

12. दरों के पंजीकरण के पश्चात् सब्जी/पुष्प पौधों की आपूर्ति के समय जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा सब्जी/पुष्प पौधों की गुणवत्ता, रोगरहित होने व मानक आदि के सम्बन्ध में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त सन्तोषजनक आख्या उपलब्ध कराने पर ही सब्जी/पुष्प पौध की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

13. प्रत्येक पैकिंग के क्रेट्स पर उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) पर हैण्डलिगं (रखरखाव) तथा यातायात में आसानी से नहीं हटने वाले लेवल का उपयोग किया जायेगा, जिसमें सब्जी/पुष्प पौंध का नाम, प्रजाति का नाम, पौध उत्पादन हेतु बोये गये बीजों की कम्पनी का नाम व पौधालय/फर्म/कम्पनी का नाम अंकित करना होगा।

**लेबल का नमूना–**

| विवरण | अंकित किया जाय | विवरण | अंकित किया जाय |
|---|---|---|---|
| मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय/फर्म/कम्पनी का नाम व पता– | ...................................... ...................................... | सब्जी/पुष्प पौंध का नाम व प्रजाति– | ...................................... ...................................... |
| बोये गए बीज उत्पादक कम्पनी का नाम | ...................................... | कीट व्याधि के रोकथाम हेतु प्रयोग किए गए कीट व्याधिनाशक का नाम | ...................................... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | व उपचार की तिथि– | |
| रोग एवं व्याधि से मुक्त है या नहीं– | ........................................ | आपूर्ति के समय पौधों की उम्र दिनों में | ........................................ ........................................ |

14. पंजीकरण हेतु EoI प्रक्रिया की तिथि व समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति मे निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्याय क्षेत्र अल्मोड़ा होगा।

15. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड को होगा।

16. मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसी भी पौधालय/फर्म/कम्पनी से पौधे क्रय करने को स्वतन्त्र होगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध पर ही सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा भी कास्तकारों को उच्चगुणवत्तायुक्त पौधे उपलब्ध कराये जा सकते है। पौधों का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कृषक/फर्म/कम्पनी/नर्सरी को DBT के माध्यम से किया जा सकेगा।

17. कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार उच्चगुणवत्तायुक्त सब्जी एवं पुष्प रोपण सामग्री कृषि विज्ञान केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR), भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत राजकीय संस्थाओं आदि से भी प्राप्त कर सकता है। पौध रोपण सामग्री का जनपद स्तरीय विभागीय समिति के सत्यापन के उपरान्त बिल बाऊचर का नियमानुसार भुगतान DBT के माध्यम से सम्बन्धित को किया जा सकेगा।

18. आवेदनकर्ता पौंधालयों/फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तों पर सहमति हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

19. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड़ को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

20. पंजीकरण उपरान्त पौंधालय/फर्म/कम्पनी को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) के रोपण एवं उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा तथा तकनीकी साहित्य निःशुल्क प्रदान करना होगा।

21. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा आपूर्ति/विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने के उपरान्त जॉचोपरान्त शिकायत सत्य पाये जाने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पौंधालय/फर्म/कम्पनी की होगी।

22. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पौंधालय/फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस पौंधालय/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
23. औद्यानिक फसलों का उत्पादन मौसम आधारित होने के दृष्टिगत जनपदीय अधिकारियों/कास्तकारों को निर्धारित समयान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
24. पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा आपूर्ति आदेश प्राप्ति के उपरान्त शतप्रतिशत आपूर्ति करने सम्बन्धी Non Refusing प्रमाण पत्र लैटर पैड पर प्रस्तुत करना होगा।
25. Non refusing of any Govt. Work का स्वप्रमाणित पत्र संलग्नक करना होगा।
26. उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौध (Open Pollinated/Hybrid Plants) के मानक व प्रोटोकॉल निम्नानुसार होगें:–
    a. पौधों की वास्तविक किस्म (True To Type) उच्च गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु आदि रहित हो, की सत्यता के लिये पौंधालय/फर्म/कम्पनी स्वामी से रू0 100.00 नोटेराईज्ड़ स्टाम्प पेपर पर शपथ लेनी होगी ताकि सब्जी/पुष्प पौध रोपण सामग्री, गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु आदि रहित नहीं पाये जाने पर पौंधालय/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जायेगा।
    b. उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन में उच्चगुणवत्ता के ट्रे एवं गत्ते का बॉक्स (Cardboard Box) का प्रयोग करना होगा ताकि ढुलान के समय पौधों को नुकसान न हो। यदि ढुलान में पौधों का नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पौंधालय/फर्म/कम्पनी स्वामी की होगी।
    c. पौधालय स्वामी/फर्म/कम्पनी से सब्जी/पुष्प पौध उठान से पूर्व प्रजाति की सत्यता पूर्णतः जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा सत्यापित कर लिया जाय। पौधों के बिल प्रजाति के अनुसार ही तैयार किया जाय। तद्नुसार ही कृषकों को प्रजाति के विवरण सहित सब्जी/पुष्प पौंध उपलब्ध कराते हुये अभिलेख अनुरक्षित रखे जाय, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे।
    d. सब्जी/पुष्प पौंध रोपण कार्य की कृषक के प्रक्षेत्र पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसे जनपद मुख्यालय पर अनुरक्षित किया जायेगा।
    e. उच्चगुणवत्तायुक्त सब्जी/पुष्प पौधों में 05 से 06 पत्तियॉ होना आवश्यक है। पौधों के तने की लम्बाई 08 से 10 से0मी0। पौधों का तना Strong and Woody होना आवश्यक है।
    f. पौधों की पत्तियों पर फंगस/वाईरस/बैक्टीरिया जनित किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए।
    g. पौधों की जड़े स्वस्थ व सफेद रंग की होनी चाहिए व जड़े मिडिया में पूर्ण रूप से फैली हो।
    h. पौधें Soil Less Media में तैयार करने होगें।
    i. उच्चगुणवत्तायुक्त Root trainer का प्रयोग करना होगा।
    j. सब्जी/पुष्प पौध की उम्र मानक के अनुसार होना आवश्यक है। मानक से कम दिनों या अधिक दिनों की पौधों की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। रोपड़ के समय कुछ पौधों की उम्र निम्नानुसार अवगत कराई जा रही है:–
       शिमला मिर्च 35 दिन, टमाटर 30 दिन, बैगन 25 से 30 दिन, गोभी वर्गीय 25 दिन, पतली मिर्च 30 से 35 दिन, कद्दू वर्गीय 25 दिन, पॉलीहाउस के अन्दर खीरा 14 से 16 दिन, खुले में खीरा 20 से 22 दिन।
    k. मॉग के अतिरिक्त 05 प्रतिशत अधिक पौधों की आपूर्ति करनी होगी।
    l. No Lodging of Terminal Portion

निदेशक, उद्यान

☎ कार्यालय/फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

## निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
## उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

**उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त/लाईसेन्स धारक पौंधालय/पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु**

### तकनीकी प्रपत्र–1

| क्र. सं | विवरण | आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आवेदनकर्ता पौंधालय/फर्म/कम्पनी की प्रोफाईल, नाम, पता व ई–मेल (पौधालय के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है) | |
| 2 | अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण –<br>बैंक ड्राफ्ट संख्या .................................. दिनांक ............................ धनराशि रू0 2360.00<br>निदेशक, उद्यान चौबटिया, रानीखेत के नाम देय हो। | |
| 3 | बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, का विवरण–<br>बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद संख्या ............................ बैंक का नाम............................<br>................ वैधता तिथि..................................धनराशि रू0 2.00 लाख | |
| 4 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी के लाईसेन्स की छायाप्रति। (यदि लागू है तो) | |
| 5 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन एवं आपूर्ति का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र या साक्ष्य संलग्न करना होगा। | |
| 6 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)। | |
| 7 | उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी पौधों की प्रजातिवार एवं उत्पादन की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) का उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय/फर्म/कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी। | |
| 8 | उत्तराखण्ड के समस्त ब्लॉक मुख्यालय में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open | |

| क्र. सं | विवरण | आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | Pollinated/Hybrid Plants) की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक पौधालय/फर्म/कम्पनी को अपने पैड पर लिखित सहमति देनी होगी। | |
| 9 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा आपूर्ति आदेश प्राप्ति के उपरान्त शतप्रतिशत आपूर्ति करने सम्बन्धी छवद त्मनिपदह प्रमाण पत्र लैटर पैड पर प्रस्तुत करना होगा। | |
| 10 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा पिछले 02 वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 10 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) का नाम, पौधों की संख्या, रोपण का वर्ष व सब्जी पौधों का परिणाम/उत्पादन सहित सूची संलग्न करनी होगी। | |
| 11 | यदि फर्म/कम्पनी प्रदेश के बाहर की है तो फर्म/कम्पनी का उत्तराखण्ड़ में कार्यालय/डीलर का विवरण संलग्न करना होगा। | |
| 12 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरें न्यूनतम हैं। दी गई दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा पंजीकरण की अवधि में भी नहीं की जायेगी। | |
| 13 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तगर्त रानीखेत, अल्मोड़ा होगा (जिसके सम्बन्ध में पौधालय के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी) | |
| 14 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा पंजीकरण उपरान्त उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) के रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित काश्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि;शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र) | |
| 15 | Non refusing Only Gov. Work का सहमति पत्र देना होगा। | |
| 16 | पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र) | |

**नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकर्ता द्वारा भरे जाने होगें। अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eol) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है। संलग्न अभिलेखों में क्रमांक लिखना आवश्यक है। संलग्न प्रपत्र का क्रमांक तकनीकी प्रपत्र में भी लिखना आवश्यक है।**

**शपथ पत्र–** मेरे द्वारा उपरोक्त अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eol) की समस्त शर्तो एंव प्रतिबन्धो का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

**पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व मुहर, नाम व पता सहित मो0न0 व ई–मेल**

☎ कार्यालय/फैक्स: 05966–222792
देहरादून:–0135–2759796
ई–मेल:missionhortiuk@gmail.com

# निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
# उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के दरें प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय प्रपत्र–2 (i)

**1- Only for Hybrid Plants**

| क0 सं0 | पौध का नाम | प्रजाति का नाम | पौध उत्पादन हेतु बोये जाने वाले बीज की कम्पनी का नाम | दर (प्रति पौधा) (including all taxs & FoR Destination) | पौधालय/फर्म/कम्पनी की पौध उत्पादन क्षमता (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

नोटः– वित्तीय प्रपत्र की साफ्ट कॉपी (पैन ड्राईव में) भी मुहर बन्द लिफाफे में उपलब्ध करानी आवश्यक है।

पौंधालय/फर्म/कम्पनी का नाम व पूर्ण पता.............................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी प्रतिनिधि का नाम......................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी की मुहर.............................................

☏ कार्यालय/फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

# निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
## उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

**उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार खुले परागित/संकर प्रजाति सब्जी पौधों/पुष्प पौंध (Open Pollinated/Hybrid Plants) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के दरें प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय प्रपत्र–2 (ii)**

**2- Only for Open Pollinated Plants**

| क0 सं0 | पौध का नाम | प्रजाति का नाम | पौध उत्पादन हेतु बोये जाने वाले बीज की कम्पनी का नाम | दर (प्रति पौधा) (including all taxs & FoR Destination) | पौधालय/फर्म/कम्पनी की पौध उत्पादन क्षमता (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

नोटः– वित्तीय प्रपत्र की साफ्ट कॉपी (पैन ड्राइव में) भी मुहर बन्द लिफाफे में उपलब्ध करानी आवश्यक है।

पौंधालय/फर्म/कम्पनी का नाम व पूर्ण पता.........................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी प्रतिनिधि का नाम.....................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी की मुहर..........................................

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण


## उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष– 05966–222722, 0135–2759799

ई–मेल– missionhortiuk@gmail.com


## नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे नैचुरली वेन्टीलेटेड पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती योजना की क्रियान्वयन हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) के लिए पॉलीहाउस निर्माता फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं के पंजीकरण हेतु संशोधित शर्तें।

नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेन्टीलेटेड) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं का अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से पंजीकरण किया पंजीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 752/कलस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण/2023–24, दिनांक 07.06.2023 से विभिन्न समाचार पत्रों विज्ञापन प्रकाशित कर पंजीकरण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करने करने की अन्तिम तिथि, आवेदन के खोलने के तिथि, मोलभाव की तिथियों एवं शर्तों को अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है। **फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं के द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथियों के स्थान पर दिनांक 10.07.2023 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में रजिस्टर्ड डॉक या दस्ती के रूप में जमा किये जा सकते है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 11.07.2023 (अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में) के पूर्वाह्न 11:00 बजे विभागीय समिति द्वारा खोला जायेगा। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 13.07.2023 को फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं के स्वामी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा विभागीय गठित समिति से पॉलीहाउस निर्माण की दरों के सम्बन्ध में मोल–भाव (Negotiation) किया जाएगा।** निर्धारित शर्तों, छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेन्टीलेटेड) की विशिष्टियों तथा निर्धारित प्रारूप को विभागीय वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

**पॉलीहाउस निर्माण कार्य हेतु पंजीकरण (Empanelment) हेतु शर्तें :–**

1. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1/122065/10(07)2023, दिनांक 15.05.2023 एवं शासनादेश संख्या 502/XIII-3/23/10(07)2023 TC, दिनांक 12.06.2023 के परिपालन में नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेन्टीलेटेड) में सब्जी एवं फूलों की योजना का क्रियान्वयन शासनादेश में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. आवेदन के लिफाफे के ऊपर **"क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) के निर्माण हेतु फर्म/कम्पनी का पंजीकरण हेतु आवेदन"** अवश्य अंकित किया जाय।
3. पंजीकरण हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं आवश्यक अभिलेख जैसे– प्रक्रिया शुल्क रू0 2360.00 का बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 5.00 लाख, GSTIN प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शपथ पत्र आदि बन्द लिफाफे में दिनांक 10.07.2023 की सांय 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डॉक या दस्ती के माध्यम से कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
4. फर्म/कम्पनी को पंजीकरण हेतु रू0 5.00 लाख (रूपए पांच लाख मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, रानीखेत (अल्मोडा) के नाम बन्धक हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैधता दिनांक 31.03.2026 तक होनी अनिवार्य है।

5. पंजीकरण की वैधता तिथि **31.03.2026** तक होगी। यदि फर्म/कम्पनी के अनिवार्य अभिलेखों सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 31.03.2026 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म/कम्पनी को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6. फर्म/कम्पनी का विगत 03 वर्षों का औसत टर्न ओवर रू0 2.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7. वर्तमान पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात भी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकरण हेतु इच्छुक अन्य फर्म/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु विचार किया जा सकता है।

8. फर्म/कम्पनी द्वारा निर्मित पॉलीहाउस में गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रयोग एवं मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य नही पाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा और ऐसी फर्म को काली सूची में डालते हुए बैंक गारन्टी भी जब्त कर ली जायेगी।

9. किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्रदान कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय/वर्कशॉप उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है साथ ही जनपद स्तर पर पॉलीहाउस निर्माण कार्य हेतु जनपदीय सेवादाता भी नामित करना होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

10. पंजीकरण फार्म के साथ संलग्न वित्तीय प्रपत्र पर पॉलीहाउस हेतु फर्म/कम्पनी को अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर FOR विकासखण्ड समस्त कर सहित अंकित करनी होगी। वित्तीय प्रपत्र की साफ्ट कॉपी (पैन ड्राइव में) भी वित्तीय प्रपत्र के साथ मुहर बन्द लिफाफे में उपलब्ध करानी होगी।

11. शासन/विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों (Specification) में भविष्य में परिवर्तन किये जाने की दशा में पॉलीहाउस का निर्माण कार्य संशोधित विशिष्टियों (Specifications) के आधार पर शासन के अनुमोदन उपरान्त ही किया जायेगा।

12. कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तो/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

13. यदि पॉलीहाउस निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership दी गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में पॉलीहाउस का निर्माण कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. कास्तकार पॉलीहाउस पर देय राजसहायता की विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से पॉलीहाउस का निर्माण करवाने को स्वतंत्र है।

15. फर्म/कम्पनी को High-tech/Naturally Ventilated व अन्य प्रकार के पॉलीहाउस बनाने का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिये। अनुभव हेतु पॉलीहाउस निर्माण के साक्ष्य के रूप में कार्यादेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र या सक्षम स्तर से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

16. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉलीहाउस निर्माण के उपरान्त पॉलीहाउस के नजदीक लोहे का साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें निम्नानुसार विवरण अंकित किया जायेगाः–

विभाग का नाम–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कृषक / एस0एच0जी0 / एफ0पी0ओ0 आदि का नामः– ..................................................

पुत्र / पत्नी का नामः– ..................................................

ग्राम व पो0ऑ0– ........................ जिला– ..................................................

नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) निर्माण पर उद्यान विभाग द्वारा प्रदत्त राजसहायताः– रू0 ..................................................

पॉलीहाउस का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में):– ..................................................

निर्माण वर्षः– ..................................................

उद्यान सचल दल केन्द्र नामः– ..................................................

17. पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म द्वारा पॉलीहाउस निर्माण कार्य यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने के कारण विवाद की स्थिति में फर्म / कम्पनी को निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा। न्याय क्षेत्र अल्मोड़ा होगा।

18. विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय बिना कारण बताये नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

19. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म / कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए पॉलीहाउस की गुणवत्ता एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में शिकायत सही पाए जाने पर बैंक गारण्टी जब्त करते हुए सम्बन्धित फर्म / कम्पनी को काली सूची में डाला जाएगा।

20. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स / ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी / परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें। सूचित नहीं करने पर फर्म / कम्पनी का पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

21. विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मों, जिनके द्वारा कृषक प्रक्षेत्रों पर पॉलीहाउस की स्थापना की जायेगी, को **तीन वर्षों** हेतु पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करना होगा।

22. फर्म / कम्पनी को पंजीकरण व निर्माण उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। फर्म / कम्पनी की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा निर्मित पॉलीहाउस पर उपयोग होने वाली सामग्री क्षतिग्रस्त होने पर उचित मूल्य पर पॉलीहाउस की मरम्मत करानी होगी। फर्म / कम्पनी को इस हेतु सूचित करने के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।

**पॉलीहाउस अनुरक्षण की शर्तेः–**

(A) निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण करना होगाः–

   i. पॉलीहाउस स्वतः फटने पर पॉलीथीन शीट का अनुरक्षण करना होगा।
   ii. नट, बोल्ट, पाइप, फ्रेम आदि के टूटने / उखड़ने तथा रस्टिंग होने पर अनुरक्षण।

(B) निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण नही करना होगाः–

   i. जानबूझ कर चाकू / अन्य हथियार से पॉलीथीन शीट काटने पर अनुरक्षण नही होगा।
   ii. जंगली जानवरों तथा पालतू जानवरों से हुई क्षति का अनुरक्षण नही करना होगा।
   iii. आग एवं प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर अनुरक्षण नही करना होगा।

(C) पॉलीहाउस स्थापना की तिथि से 03 वर्ष तक निःशुल्क अनुरक्षण करना होगा।

(D) कास्तकार को पॉलीहाउस का संचालन, रखरखाव एवं उत्पादन के सम्बन्ध में 03 वर्ष तक निःशुल्क सलाह/जानकारी प्रदान करनी होगी।

23. फर्म/कम्पनी को पॉलीहाउस के रखरखाव एवं सब्जी/पुष्प उत्पादन की तकनीकी जानकारी कृषकों को प्रदान करनी होगी।

24. फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा बैंक गारण्टी जब्त करते हुए सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को काली सूची में डाला जाएगा।

25. पॉलीहाउस में प्रयोग किये गये प्लास्टिक की सामग्री यथाः– प्लास्टिक शीट (Cladding Material), शेडनेट, इन्सेक्टनेट आदि मानकानुसार न होने पर CIPET से एवं अन्य सामग्री GI Structure, ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि मानकानुसार नहीं होने पर Precision farming Development Centre (PFDC) पंतनगर/अन्य से जांच कराई जा सकती है।

26. पॉलीहाउस निर्माण सामग्री के 14 नमूने (Sample) जैसेः– विभिन्न पाइप के टुकड़े, प्रोफाइल, जिग–जैग वायर, पॉलीथीन शीट, शेडनेट, इन्सेक्टनेट, ड्रिप पाइप, ड्रिपर आदि उपलब्ध कराने होगें।

27. फर्म/कम्पनी द्वारा रु. 100/– के नोटराइज्ड शपथ पत्र पर संलग्न अभिलेखों की सत्यता, फर्म के विरूद्व विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही, ब्लैक लिस्ट नहीं होने, निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने, 03 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने, स्थापना उपरान्त 03 वर्षों तक पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करने की सहमति प्रदान करनी होगी।

28. Non refusing of any Govt. Work का स्वप्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तराखण्ड

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)
☎ 05966–220260,222792 📠 05966–221074

## नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) के पंजीकरण (Empanelment) हेतु

### तकनीकी प्रपत्र–1

| क्र0 सं0 | विवरण | अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | फर्म/कम्पनी की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/ कम्पनी के निदेशक, फर्म /कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो। | | |
| 2. | प्रक्रिया शुल्क का विवरण–<br>ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम– ......................<br>ड्राफ्ट संख्या.....................तिथि....................धनराशि रू0 2360.00 GST सहित (निदेशक, उद्यान के नाम का तैयार करना होगा, जो रानीखेत अल्मोड़ा में देय हो। | | |
| 3. | बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो।<br>बैंक का नाम..................................................<br>शाखा का नाम व पूर्ण पता ..........................................<br>बैंक गारन्टी/FDR संख्या.............<br>जारी करने की तिथि...............धनराशि रू0 5.00 लाख, वैधता तिथि.......................................... | | |
| 4. | फर्म का पैन नम्बर की छायाप्रति | | |
| 5. | फर्म का जी.एस.टी. की छायाप्रति | | |
| 6. | फर्म/कम्पनी का विगत 03 वर्षों का औसत टर्न ओवर रू0 2.00 करोड़ होना आवश्यक है जिसके लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। | | |
| 7. | शासन द्वारा पॉलीहाउस की निर्धारित विशिष्टियों (Specification's) की हस्ताक्षरित प्रति। | | |
| 8. | किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय/वर्कशॉप उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है साथ ही जनपद स्तर पर पॉलीहाउस निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु जनपदीय सेवादाता भी नामित करना होगा, का विवरण संलग्न करना होगा। | | |
| 9. | रू0 100.00 के नोटेराईज्ड़ शपथ पत्र पर संलग्न अभिलेखों की सत्यता, फर्म के विरूद्ध कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही, ब्लैक लिस्ट नहीं होने, निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने, तीन वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने, स्थापना उपरान्त **तीन वर्षों** हेतु पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करने की सहमति। | | |

| क्र0 सं0 | विवरण | अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 10. | रू0 100.00 के नोटराईज्ड़ शपथ पत्र पर वित्तीय प्रपत्र में दी गई दरें न्यूनतम होने व दी गई दरों से कम दरों पर किसी राज्य/संस्था/विभाग में पंजीकरण की अवधि में कार्य नहीं किये जाने का शपथ। | | |
| 11. | देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण। | | |
| 12. | फर्म/कम्पनी के फैक्ट्ररी/वर्क शॉप में उपलब्ध मशीनों व तकनीकी कर्मचारियों के विवरण सहित विस्तृत सूचना, फैक्ट्ररी/वर्कशॉप का पूर्ण पता सहित। | | |
| 13. | फर्म/कम्पनी को पॉलीहाउस निर्माण कार्य के न्यूनतम 02 वर्षों के अनुभव हेतु साक्ष्य जैसेः– कार्यादेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र या सक्षम स्तर से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। | | |
| 14. | शासन/विभाग द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों/आवश्यक अभिलेखों की हस्ताक्षरित प्रति। | | |
| 15 | पंजीकृत फर्मों, जिनके द्वारा कृषक प्रक्षेत्रों पर पॉलीहाउस की स्थापना की जायेगी, को **तीन वर्षों** हेतु पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करनी होगी, की सहमति पत्र। | | |
| 16 | Non refusing of any Govt. Work का सहमति पत्र देना होगा। | | |
| 17 | पॉलीहाउस निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की विस्तृत विवरण सहित न्यूनतम आकार के नमूने (Sample) उपलब्ध कराने होगें। | | |

**नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण (Empanelment) प्रस्ताव के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।**

## प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण (Empanelment) की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर–
प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम/पता/ सील
मोबाईल नम्बर–
ईमेल–

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)
☎ 05966–220260,222792 📠 05966–221074

## नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) के पंजीकरण (Empanelment) हेतु

## वित्तीय प्रपत्र – 2

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | शासनादेशानुसार पॉलीहाउस की अनुमानित लागत प्रति वर्गमी0 (रू0 में) | विकासखण्ड का नाम | पॉलीहाउस निर्माण हेतु फर्म/कम्पनी की दर प्रति वर्गमीटर FOR ब्लॉक हेडक्वार्टर + समस्त करों सहित (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehradun | 1425.00 | Raipur | |
| 2 | | | Doiwala | |
| 3 | | | Sahaspur | |
| 4 | | | Vikasnagar | |
| 5 | | | Chakrata | |
| 6 | | | Kalsi | |
| 7 | Haridwar | | Bahadrabad | |
| 8 | | | Bhagwanpur | |
| 9 | | | Roorkee | |
| 10 | | | Narsan | |
| 11 | | | Laksar | |
| 12 | | | Khanpur | |
| 13 | Tehri | | Fakot (Narendranagar) | |
| 14 | | | Chamba | |
| 15 | | | Jaunpur | |
| 16 | | | Thauldhar | |
| 17 | | | Pratapnagar | |
| 18 | | | Jakhanidhar | |
| 19 | | | Hindolakhal | |
| 20 | | | Kirtinagar | |
| 21 | | | Bhilangna | |
| 22 | Pauri | | Pauri | |
| 23 | | | Kot | |
| 24 | | | Kaljikhal | |
| 25 | | | Khirsu | |
| 26 | | | Pabo | |
| 27 | | | Thalisain | |
| 28 | | | Bironkhal | |
| 29 | | | Nanidanda | |
| 30 | | | Ekeshwar | |
| 31 | | | Pokhra | |
| 32 | | | Rikhnikhal | |
| 33 | | | Jaiharikhal | |
| 34 | | | Dwarikhal | |
| 35 | | | Dugadda | |
| 36 | | | Yamkeshwar | |
| 37 | Chamoli | | Dasholi(Chamoli) | |
| 38 | | | Joshimath | |
| 39 | | | Ghat | |
| 40 | | | Pokhari | |
| 41 | | | Karanprayag | |
| 42 | | | Gairsain | |
| 43 | | | Narayanbagar | |
| 44 | | | Thrali | |
| 45 | | | Dewal | |

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | शासनादेशानुसार पॉलीहाउस की अनुमानित लागत प्रति वर्गमी0 (रू0 में) | विकासखण्ड का नाम | पॉलीहाउस निर्माण हेतु फर्म/कम्पनी की दर प्रति वर्गमीटर **FOR** ब्लॉक हेडक्वार्टर + समस्त करों सहित (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Rudraprayag | | Agustyamuni | |
| 47 | | | Jakholi | |
| 48 | | | Ukhimath | |
| 49 | Uttarkashi | | Bhatwadi | |
| 50 | | | Dunda | |
| 51 | | | Chinyalisaud | |
| 52 | | | Naugaon | |
| 53 | | | Purola | |
| 54 | | | Mori | |
| 55 | U.S. Nagar | | Jaspur | |
| 56 | | | Kashipur | |
| 57 | | | Bajpur | |
| 58 | | | Gadarpur | |
| 59 | | | Rudrapur | |
| 60 | | | Sitarganj | |
| 61 | | | Khatima | |
| 62 | Nainital | | Haldwani | |
| 63 | | | Bhimtal | |
| 64 | | | Ramnagar | |
| 65 | | | Kotabag | |
| 66 | | | Dhari | |
| 67 | | | Betalghat | |
| 68 | | | Ramgarh | |
| 69 | | | Okhalkanda | |
| 70 | Almora | | Bhaisiachana | |
| 71 | | | Bhikiyasain | |
| 72 | | | Chaukhutiya | |
| 73 | | | Dhauladevi | |
| 74 | | | Dwarahat | |
| 75 | | | Hawalbag | |
| 76 | | | Lamgara | |
| 77 | | | Sult | |
| 78 | | | Syalde | |
| 79 | | | Takula | |
| 80 | | | Tarikhet | |
| 81 | Bageshwar | | Bageshwar | |
| 82 | | | Garur | |
| 83 | | | Kapkot | |
| 84 | Champawat | | Champawat | |
| 85 | | | Pati | |
| 86 | | | Lohaghat | |
| 87 | | | Barakot | |
| 88 | Pithoragarh | | Bin | |
| 89 | | | Munakot | |
| 90 | | | Didihat | |
| 91 | | | Kanalichina | |
| 92 | | | Dharchula | |
| 93 | | | Munsyari | |
| 94 | | | Gangolihat | |
| 95 | | | Berinag | |

नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। इम्पेनलमेन्ट प्रस्ताव के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें। वित्तीय प्रपत्र–2 की सॉफ्ट कॉपी (पैन ड्राइव में) भी वित्तीय प्रपत्र के साथ बन्द लिफाफे में उपलब्ध करानी आवश्यक है।

# प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त इम्पैनलमेन्ट की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ। हमारी फर्म/कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार दी गई दरें न्यूनतम है। पंजीकरण की अवधि में हमारी फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य, विभाग, संस्था आदि में उपरोक्त दरों से कम दरों पर पॉलीहाउस निर्माण, सब्जी पौध रोपण सामग्री व पुष्प पौध रोपण सामग्री का कार्य नहीं किया जायेगा।

प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर–
प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम/पता/ सील
मोबाईल नम्बर–
ईमेल–

*कास्तकार द्वारा क्रय किये गये रू0 100/– के नॉन ज्यूडीशियल पेपर पर नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित*

## कृषक एवं फर्म के बीच समझौता का प्रारूप का नमूना

## Agreement Between Farmer and Eligible Firm / Company (Service Provider) for Construction of Naturally Ventilated Poly Houses

आज दिनांक .................... को प्रथम पक्ष (छोटे एवं मध्यम कृषक/महिलाएं/स्वयं सहायता समूह/एफ0पी0ओ0 का नाम सहित) का नाम ............................................................ स्वंय सहायता समूह/एफ0पी0ओ0/अध्यक्ष/सचिव का नाम..........................................................................पिता का नाम .................. .................., ग्राम .............................. पोस्ट .............................. तहसील ....................................... जनपद ......... ............................... एवं द्वितीय पक्ष (पॉलीहाउस निर्माता फर्म/कम्पनी/संस्था) मै0 ............................................... ............................ पता ...................................................................... तृतीय पक्ष (विभाग के प्रतिनिधि) नाम ...... ............................ पदनाम ........................................ की उपस्थिति में पॉलीहाउस निर्माण कार्य हेतु निम्न शर्तों के साथ समझौता करते हैं:–

1. प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण हेतु द्वितीय पक्ष को पॉलीहाउस निर्माण के लिये समतल भूमि उपलब्ध करानी होगी तथा पॉलीहाउस में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना हेतु आवश्यक सिंचाई के पानी की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।
2. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पॉलीहाउस निर्माण करने की समय सारणी से पूर्ण रूप से सहमत हैं।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रथम पक्ष के साथ सहमति से तैयार की गयी समय सारणी के अनुसार निर्माण किया जायेगा।
4. पॉलीहाउस निर्माण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों (Specification) के अनुसार करना होगा।
5. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पॉलीहाउस निर्माण के पश्चात अनुबन्ध में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6. तीन वर्षों हेतु पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करना होगा।
7. फर्म द्वारा कास्तकार को पॉलीहाउस का संचालन, रखरखाव एवं उत्पादन के सम्बन्ध में 03 वर्ष तक निशुल्क सलाह/जानकारी प्रदान करनी होगी।
8. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष उक्त शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य शर्त के लिये सहमत हों तो आपसी सहमति के आधार पर अन्य शर्तों को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

स्थानः–

दिनांकः–

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| प्रथम पक्ष<br>नाम व पता– | द्वितीय पक्ष<br>नाम व पता– | तृतीय पक्ष<br>पदनाम– |
| हस्ताक्षर गवाह– 1<br>नाम व पता– | हस्ताक्षर गवाह– 2<br>नाम व पता– | हस्ताक्षर गवाह– 3<br>नाम व पता– |

महत्वपूर्ण/ई–मेल

संख्या– 502 /XIII-3/23/10(07)/2023TC

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 12 जून मई, 2023

**विषयः नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित पॉलीहाउस में सब्जी एवं पुष्पों की खेती हेतु पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं तथा सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों/नर्सरियों से अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–659/कलस्टर आधारित पॉलीहाउस पंजी0/2023–24, दिनांक 29.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित पॉलीहाउस में सब्जी एवं पुष्पों की खेती हेतु पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं तथा सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों/नर्सरियों के अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनाओं की EoI उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की कार्यवाही सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHF(B) urgent 13/6/23

3– अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन उपरोक्त समस्त कार्यवाही की मानीटरिंग करेंगे, ताकि यह योजना समयबद्ध रूप से नियत मानकों के अन्तर्गत सम्पादित हो सके।

भवदीय,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(महिमा)
संयुक्त सचिव।

(7)

संख्या–I/122065/10(07)2023

प्रेषक,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 15 मई, 2023

विषयः– कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–6917/पॉलीहाउस संशोधित/2022–23, दिनांक 31.03.2023 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत छोटे पॉलीहाउस (**Naturally Ventilated**) हेतु वर्ष 2023–24 के लिए लक्ष्य एवं प्रस्तावित धनराशि का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| जनपद का नाम | प्रस्तावित पॉलीहाउसों की संख्या | पॉलीहाउस की अनुमानित लागत (रू0 1425 प्रति वर्गमीटर) | सब्जी एवं पुष्प रोपण सामग्री की अनुमानित लागत (रू0 300 प्रति वर्गमीटर) | कुल लागत (पॉलीहाउस व रोपण सामग्री) | नाबार्ड योजनान्तर्गत राजसहायता (80 प्रतिशत) | | | कृषकांश (20 प्रतिशत) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नाबार्ड ऋण (95 प्रतिशत) | राज्यांश (5 प्रतिशत) | कुल योग | | |
| अल्मोड़ा | 1454 | 20.72 | 4.36 | 25.08 | 19.06 | 1.00 | 20.07 | 5.02 | पॉलीहाउस स्थापना पर ढुलान (कार्टेज) व्यय पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 2023–24 के आधार पर विकासखण्ड वार निर्धारित दर के अनुसार निकाला जायेगा। तद्नुसार देय होगा। |
| बागेश्वर | 484 | 6.90 | 1.45 | 8.35 | 6.35 | 0.33 | 6.68 | 1.67 | |
| पिथौरागढ | 1455 | 20.73 | 4.37 | 25.10 | 19.08 | 1.00 | 20.08 | 5.02 | |
| चम्पावत | 1066 | 15.19 | 3.20 | 18.39 | 13.98 | 0.74 | 14.71 | 3.68 | |
| उधमसिंहनगर | 1940 | 27.65 | 5.82 | 33.47 | 25.43 | 1.34 | 26.77 | 6.69 | |
| नैनीताल | 1940 | 27.65 | 5.82 | 33.47 | 25.43 | 1.34 | 26.77 | 6.69 | |
| हरिद्वार | 1940 | 27.65 | 5.82 | 33.47 | 25.43 | 1.34 | 26.77 | 6.69 | |
| देहरादून | 1940 | 27.65 | 5.82 | 33.47 | 25.43 | 1.34 | 26.77 | 6.69 | |
| टिहरी | 1454 | 20.72 | 4.36 | 25.08 | 19.06 | 1.00 | 20.07 | 5.02 | |
| पौडी | 1454 | 20.72 | 4.36 | 25.08 | 19.06 | 1.00 | 20.07 | 5.02 | |
| उत्तरकाशी | 970 | 13.82 | 2.91 | 16.73 | 12.72 | 0.67 | 13.39 | 3.35 | |
| चमोली | 970 | 13.82 | 2.91 | 16.73 | 12.72 | 0.67 | 13.39 | 3.35 | |
| रूद्रप्रयाग | 581 | 8.28 | 1.74 | 10.02 | 7.62 | 0.40 | 8.02 | 2.00 | |
| योग | **17648** | **251.48** | **52.94** | **304.43** | **231.37** | **12.18** | **243.54** | **60.89** | |

## क्लस्टर अवधारणा

क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए चयनित क्लस्टरों में चयनित फसलों की खेती पॉलीहाउस में करने से एक ही स्थान पर विपणन हेतु एक ही फसल का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे बड़े व्यापारियों को क्लस्टर स्तर पर मोल भाव हेतु आमंत्रित

SHI(M) B

किया जा सकता है अथवा क्लस्टर के समस्त कृषक/कृषक उत्पादक संगठन/स्वयं सहायता समूह एक ही स्थान पर अपने उत्पाद को एकत्रित कर सीधे बाजार/मण्डियों में पहुँचा सकते हैं, जिससे बिचौलियों से बचा जा सकता है इससे कृषक अपने उत्पादन का सीधे उचित मूल्य प्राप्त कर आय में वृद्धि कर सकते हैं।

- एक समूह में कम से कम 05 कृषक होने अनिवार्य हैं, जिन्हें कम से कम 10 पॉलीहाउसों से लाभान्वित किया जायेगा। प्रति क्लस्टर न्यूनतम 25 या उससे अधिक पॉलीहाउसों की स्थापना की जा सकती है। कृषकों के संबंधियों की भूमि पर पॉलीहाउस स्थापना किये जाने की स्थिति में इसको भी समूह माना जायेगा। पॉलीहाउस स्थापना हेतु महिला समूहों को वरियता प्रदान की जायेगी।

- समूह गठन में एक ही ग्राम पंचायत के आस–पास लगती हुई जोत के कृषक योजना हेतु पात्र होगें। विभाग द्वारा योजना का वृहद प्रचार प्रसार कर ऐसे कृषकों का चयन किया जायेगा, जो पॉलीहाउस में खेती करने एवं एक ही गॉव के अन्तर्गत समूह में पॉलीहाउस स्थापित करने के इच्छुक होंगे। जिनके पास स्वयं की भूमि या पति/पत्नी के नाम की भूमि होगी वे भी पात्र होगें, साथ ही गांव के कृषक अपने संबंधियों एवं पड़ोसियों के साथ भी समूह बनाकर सामूहिक रूप से अपनी भूमि पर आपसी समझौते के आधार पर पॉलीहाउस की स्थापना हेतु पात्र होंगे, परंतु इस हेतु उन्हें रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर समझौता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- ऐसे समूह एवं किसान, जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा इच्छानुसार क्लस्टर में कम से कम 10 साल की लीज पर भूमि लेकर पॉलीहाउस की स्थापना की जा सकती है। लीज रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

- गैर कृषक भी भूमि को रजिस्टर्ड लीज पर लेकर पॉलीहाउस योजना का लाभ ले सकता है।

- मैदानी क्षेत्रों में एक लाभार्थी हेतु 500 वर्गमीटर तक तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 वर्गमीटर के भी पॉलीहाउस स्थापित किये जा सकते है।

## पॉलीहाउस स्थापना के लक्ष्य

राज्य में आयोजित चिंतन शिविर में हुए विचार–विमर्श के अनुसार जनपदों को संरक्षित खेती से संतृप्त किया जाना है, जिस हेतु प्रथम चरण में नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत कुल 17648 पॉलीहाउसों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

## देय राज सहायता एवं कृषक अंश

नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना एवं स्थापना उपरांत केवल प्रथम वर्ष में पुष्प/सब्जी रोपण सामग्री हेतु, लाभार्थी को पॉलीहाउस एवं रोपण सामग्री पर **80 प्रतिशत राज सहायता देय होगा तथा 20** प्रतिशत कृषक/समूह आदि द्वारा वहन किया जायेगा। **जिलों के अन्तर्गत लगने वाले पॉलीहाउस पर संबंधित फर्म को ढुलान (कार्टेज) व्यय पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 2023–24 के आधार पर विकासखण्ड वार निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।**

## जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति

योजना अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक निबन्धक, सहकारिता | सदस्य |
| 4. | सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र प्रभारी | सदस्य |
| 5. | सम्बन्धित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी | सदस्य सचिव |

## लक्षित लाभार्थी

योजनान्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषक, कृषक, महिलाएं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियां, उद्यान/कृषि/NRLM/ग्राम्य विकास/F P O/R E A P/FPC /JICA/**PACS/PG** में पंजीकृत समूह योजना अंतर्गत आवेदन के पात्र होंगे।

## क्लस्टर व लाभार्थी चयन

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पॉलीहाउस स्थापना हेतु ऐसे क्लस्टरों का चयन किया जायेगा, जिसमें पॉलीहाउस स्थापना हेतु इच्छुक कृषक समूह/एफ0पी0ओ0/व्यक्तिगत कृषक, सड़क से नजदीकी, सिंचाई जल की उपलब्धता तथा व्यक्तिगत कृषक/ कृषक समूह/किसान उत्पादक संगठन/स्वयं सहायता समूह को बागवानी का अनुभव आदि सम्मिलित होगा।

## चयन हेतु परीक्षण के मानक

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कृषकों के चयन के समय मुख्य रूप से पॉलीहाउस स्थापना हेतु क्लस्टर के चयन हेतु सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता, कृषकों को बागवानी का अनुभव, फसलों के उत्पादन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं कृषि जलवायु के अनुसार फसलों का चयन दिये गये विकल्पों (Crop Cycles) में से सब्जियों यथा शिमलामिर्च, टमाटर, चैरी टमाटर, खीरा तथा पुष्पों में गुलाब, जरबेरा, कारनेशन, लिलियम आदि का चयन सम्मिलित करते हुए आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण के समय सब्जी एवं पुष्प फसलों के चयन के दौरान बाजार के मांग को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

- उत्पादों के विपणन को ध्यान में रखते हुए एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के फसल उत्पाद को वरीयता दी जायेगी, ताकि कलस्टर स्तर पर बाजार को आकर्षित किया जा सके, इस हेतु एक कलस्टर में स्थापित पॉलीहाउसों एवं आस–पास के कलस्टरों में एक ही फसल के उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज की व्यवस्था को सुगमतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

- एक क्लस्टर या आस–पास के कई क्लस्टरों के किसानों/समुदाय आधारित किसान संगठनों को बाजार की मांग के अनुरूप फसलों के चयन हेतु किसानों को स्थानीय/जनपद स्तर/राज्य स्तर की नजदीकी मण्डियों का भ्रमण करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि किसान संगठन बाजार की मांग के अनुरूप फसलों का

चयन कर सकें, जिससे उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

## विभाग द्वारा पॉलीहाउस निर्माता संस्था/फर्म का चयन

विभाग द्वारा पॉलीहाउस निर्माता संस्था/फर्म का चयन शासन के अनुमोदन उपरान्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) के माध्यम से किया जायेगा।

## लाभार्थी द्वारा पॉलीहाउस निर्माता फर्म का चयन

पॉलीहाउस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी/कृषक को विभाग में पंजीकृत पॉलीहाउस निर्माता फर्मों में से किसी भी फर्म को स्वेच्छा से चयनित कर कार्य कराने की स्वतंत्रता होगी।

जनपदीय मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी को पंजीकृत फर्मों की दरें उपलब्ध हों और लाभार्थी कृषक को पॉलीहाउस से संबंधित तकनीकी/व्यवहारिक जानकारी सुलभ हों ताकि लाभार्थी कृषक स्वेच्छा से निर्माता फर्म का चयन कर सके और उससे पॉलीहाउस स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करा सकें।

## राजसहायता का भुगतान

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की स्वीकृति उपरान्त कृषक पॉलीहाउस निर्माण हेतु विभाग में ई0ओ0आई0 के माध्यम से पंजीकृत किसी भी संस्था/फर्म के माध्यम से स्थापना कराने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

- चयन के उपरांत कृषक को अपना अंश (20 प्रतिशत) विभाग में (RTGS/ UPI Transaction G Pay, Phone Pay, Pay TM)/ Net Banking/ Digital Transaction आदि द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु जिले स्तर पर विभाग द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा, जिसका एक खाता खोलकर लाभार्थी द्वारा, उस खाते में चयन के उपरांत अपना 20 प्रतिशत अंश द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

- विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो को प्रथम किस्त में कुल लागत के 35 प्रतिशत का भुगतान पॉलीहाउस स्थापना शुरू किये जाने पर (on completion of foundation work and supply of complete cladding material at site including micro irrigation system) एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल लागत का 35 प्रतिशत स्थापना के दौरान (after completion of the erection of steel structure) तथा तृतीय एवं अन्तिम किस्त के रूप में शेष 30 प्रतिशत का भुगतान पॉलीहाउस की पूर्ण स्थापना (completion of protected structure and installation of micro irrigation system) के उपरान्त भौतिक सत्यापन एवं कृषक/समूह के संतुष्टि प्रमाण–पत्र के पश्चात किया जायेगा। राजसहायता का भुगतान कृषक/समूह द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के बैंक खाते में डी0बी0टी के माध्यम से किया जायेगा। **(संलग्न प्रारूप–1)**

- पॉलीहाउस के क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान की गणना कर तद्नुसार राजसहायता का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।

- विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मों, जिनके द्वारा कृषक प्रक्षेत्रों पर पॉलीहाउस की स्थापना की जायेगी, को तीन वर्षो हेतु पॉलीहाउस के रख–रखाव एवं मरम्मत करना होगा, जिसके बाद ही उनकी धरोहर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- पॉलीहाउस संरचना की तैयार होने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित संरचना का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा न करने की दशा में राज सहायता की वसूली की जायेगी। कृषक प्रक्षेत्र में पॉलीहाउस की स्थापना से पूर्व कृषक से रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, जिसमें कृषक द्वारा उल्लेखित किया जायेगा कि विभाग को यह अधिकार होगा कि पॉलीहाउस अथवा राजसहायता का दुरूपयोग करने पर मय चालू बैंक ब्याज सहित प्रदान की गई राज सहायता की वसूली कर सकता है। **(संलग्न प्रारूप–2)**
- स्थापित किये जाने वाले पॉलीहाउस की कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य होते समय एवं कार्य समाप्ति के उपरांत स्थलीय फोटो एवं Geo-Tagging अनिवार्य रूप से की जायेगी। इस हेतु एक मोबाईल एप्लीकेशन बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से ऑनलाईन एप्लीकेशन ली जायेंगी और साथ ही स्थलीय फोटोग्राफ भी अपलोड किया जायेगा। पॉलीहाउस स्थापना उपरांत अंतिम स्थलीय फोटोग्राफ Geo-Tagging और संतोषजनक स्थलीय निरीक्षण एवं कृषक की संतुष्टि आख्या उपरांत राजसहायता का भुगतान कृषक द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

**Table 1: Technical Specification for Top vent Naturally Ventilated House (100m $^2$) including foundation for civil work (As per the estimate of State agriculture marketing board and recommendations of VPKAS, Almora)**

| Sr. No. | Items | Description/Specifications |
|---|---|---|
| 1. | Bay Size | Preferably Length=17 to 19.0m and Width= 6 to 5.2.25m<br>The width of the greenhouse should be at least 35% of the desired length. |
| 2. | Central Ridge height | 4.2-4.8 m |
| 3. | Vents | The Ridge vent should have 80 - 90cm and the side vent depending upon the requirement and opening should be fixed with 40 mesh UV stabilized nylon insect screen. |
| 4. | Gutter height | 2.5m to 3m from the floor area |
| 5. | Column spacing | 2.6 to 2.8m |
| 6. | Span | 5.25 to 6.0m (Single span with top vent) |
| 7. | Gutter Slope | A slope of 2% needs to be provided in the civil foundation work structure |
| 8. | Gutter Material | The 20-gauge or1 mm thick GI Sheet with a perimeter of 500mm or more preferably of single length without joint. |
| 9. | Structural design | • The structural design needs to be sound enough to withstand wind speeds of a minimum of 150 km/hrs. and minimum load of 25 kg/rn 2. There should be a provision for opening one portion on either side for entry of small tractors/power tillers for intercultural practices. The firm needs to highlight design features and a list of greenhouse clients.<br>• Complete Structure made of G.I. Pipe fitted in zero energy with Nut and bolts (dismantlable).<br>• All pipes should be deep/hot galvanized, corrosion resistant and ISI mark. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Main column | 60 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014 |
| 11. | Middle column | 60 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014 |
| 12. | Foundation stub | 48 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014 |
| 13. | Bottom chord | 48 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014 |
| 14. | Trusses member & Purlin | 48 mm OD, 2mm Thick, IS 3601:2014 |
| 15. | Big Arc | 42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014 |
| 16. | Small Arc | 42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014 |
| 17. | Cross Bracing | 42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014 |
| 18. | Cross Bracing | 42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014 |
| 19. | Cross Bracing | 42 mm OD, 2 mm thick, IS 3601:2014 |
| 20. | Curtain Pipe | 21 mm OD, 1 mm thick, IS 3601:2014 |
| 21. | Curtain Handel | 21 mm OD, 1 mm thick, IS 3601:2014 |
| 22. | Flap curtain | 21 mm OD, 1 mm thick, IS 3601:2014 |
| 23. | GI clamp | 76 mm, 60 mm, 48 mm, 42 mm |
| 24. | Fasteners | 3/8", 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm |
| 25. | Angle Bracket | ISA 40 x 40 x 3 |
| 26. | T & L - Fixtures | 33 mm OD & 2.0 mm thick |
| 27. | Curtain Clamp | 45 mm width & 2.0 mm thick |
| 28. | GI profile | 30 mm x 1mm, (150 to 160 gr per running mtr) |
| 29. | Self Trapping Screw | 20 mm length |
| 30. | GI wire | 2 mm dia |
| 31. | Trusses | Bottom & Top Cord 42mm OD, 2mm Thick |
| 32. | Purlin members & others | 25mm, 2mm thick |
| 33. | Foundations | Insert GI pipes of a minimum 48mm OD or more to have a foundation depth of 48cm or more depending upon soil type and prevailing wind condition, grouted with cement concrete mixture of 1:3:6 using telescopic insertion of the column. |
| 34. | Fasteners | All nuts & bolts must be of high tensile strength and galvanized. |
| 35. | Entrance room & door | One entrance room of size 3m x 3m x 3m (L x W x H) need to be provided and covered with 200-micron UV-stabilized transparent plastic film. Two hinge doors of size 2m width & 25 m height double leaf made in plastic/FRP sheets mounted in a suitable strong frame. |
| | Cladding | UV stabilized 120 GMS, 200-micron transparent plastic films conforming to |

| | | |
|---|---|---|
| 36. | Material | Indian Standards OS 15827: 2009), multi-layered, anti-drip, anti sulphur, diffused, clear, and have a minimum 85% level of light transmittance. |
| 37. | Fixing of cladding materials | All ends/joints of plastic film need to be fixed with two-way GI profiles with suitable locking arrangements along with a curtain top. |
| 38. | Spring Insert | Zigzag high carbon steel with spring action wire of 2-3 mm diameter must be inserted to fix the shade net into GI Profile. |
| 39. | Curtains and insect screen | Roll up UV stabilized 200-micron transparent plastic film as curtains need be provided should be equal to height on all sides having automatic type motor operated crank mechanism. However, the provision for manual opening and closing of curtains needs also to be provided. 40 mesh nylon insect-proof nets (UV stabilized) of equivalent size need to be fixed inside the curtains. Anti-flapping strips are suggested to ensure the smooth functioning of the curtain (curtain open 2.5 to 3.00 meter for better ventilation and increased air circulation for temperature control). |
| 40. | Shade net | Stabilized 50% shading net (UV stabilized) with motor/manually operated mechanism for expanding and retracting. The size of the net should be equal to the floor area of the greenhouse. |
| 41. | Drip Irrigation System with fogging & misting | The drip irrigation system under the greenhouse needs to be selected based on crop spacing (design on spacing 45cm x 45cm) along with fogging and misting facilities. The spacing considered for the calculation The suggested bill of materials are Sand Filter 5m 3/hrl Screen Filter 10m 3/hr, Control Valve 63mm, Control Valve 50mm, Bypass Assembly — 1.5", Air Release Value 1", Non-Return Valve 1.5", Throttle Valve 1.5", Flush Valve 50mm, Venturi 1.5" Assembly with manifold, PVC pipe 63mm/6kg/cm2, PVC pipe 50mm/6kg/cm2, PE plane lateral 16 mm, Emitting pipe lateral 16mm - @ 0.45m spacing, hanging type micro sprinkler nozzle (four-way take-off assembly) for very fine water particles (foggers & mister) to be fixed in PE pipe of diameter 16mm, Water tank of capacity 2000 le. and fittings & accessories. |
| 42. | Apron | Bottom Apron (Both sides across the length): UV stabilized skirting film 160 GSM/140 GSM, the apron plastic must be buried in the ground at least 60 cm from ground level. The apron plastic must come with 3 year warranty. The apron plastic must be laminated on both sided and a height of 0.5/0.6m above ground and 30 cm buried below ground |

## पॉलीहाउस निर्माता फर्म के दायित्व

- फर्म द्वारा योजना के लाभार्थियों को यथा आवश्यकता बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र भरने, बैंक स्तर पर स्वीकृति के प्रयास करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- चिन्हित फर्म द्वारा लाभार्थी की संतुष्टि हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार ही उत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का ही इस्तेमाल किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने/आवश्यकता के दृष्टिगत फर्म द्वारा आपूर्तित सामग्री की टेस्टिंग अधिकृत संस्था के माध्यम से करायी जा सकती है। नमूनो के असफल होने की दशा में टेस्टिंग पर होने वाला समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। किसानों की शिकायत की पुष्टि की स्थिति में फर्म को नये सिरे से उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री की आपूर्ति करते हुए पॉलीहाउस का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु आने वाले किसी भी व्यय/नुकसान का वहन संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा।
- फर्म/संस्था द्वारा लाभार्थी को पॉलीहाउस के सफल संचालन हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही चयनित फसलों के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज से भिज्ञ

कराया जाएगा।

- पंजीकृत फर्म/संस्था को जनपद स्तर पर अपने कार्यालय अथवा सर्विस सेन्टर्स स्थापित करने होंगे और क्षेत्रवार तकनीकी कार्मिकों की सूचना, नाम, पता एवं दूरभाष सहित लाभार्थी एवं जनपदीय/मण्डलीय उद्यान अधिकारियों को देनी होगी। फर्म के तकनीकी कर्मियों द्वारा पॉलीहाउस की तकनीकी डिज़ाइन के अलावा समय-समय पर रख रखाव तथा फसल उत्पादन सम्बन्धी जानकारियां लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी।
- तकनीकी कारणों से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति न होने अथवा पॉलीहाउस के किसी भी घटक में मानकानुसार दोष पाये जाने की दशा में फर्म द्वारा एक वर्ष तक मरम्मत/नये सिरे से पॉलीहाउस का निर्माण किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

## पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था

- कृषक पौधरोपण सामग्री की व्यवस्था अपने स्तर से करने हेतु स्वतंत्र होंगे, जिसका मानकानुसार रु0 **300.00 प्रति वर्ग मीटर का 80 प्रतिशत राज सहायता विभाग द्वारा केवल प्रथम वर्ष में ही डी0बी0टी0 के माध्यम से देय होगा।**

## क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस का संचालन रख-रखाव एवं उत्पादों का विपणन

- पॉलीहाउस में खेती के दौरान संचालन व रख-रखाव में आने वाला व्यय संबंधित समूहों/कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- परियोजना के सफल संचालन अनुश्रवण एवं विपणन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में DPMU एवं राज्य स्तर पर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में SPMU का गठन किया जायेगा।
- योजना अन्तर्गत सभी हितधारक समूहों/व्यक्तिगत कृषकों को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तर पर एक **Farmer Producer Organization** का गठन किया जायेगा, जो क्लस्टर में उत्पादित फसलों का विपणन उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद, ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत **REAP** परियोजना, **PACS** के सहयोग से स्थानीय बाजारों/निकटवर्ती बाजार/ दिल्ली मण्डी/ चंडीगढ़ मंडी/ **Corporates Retail Stores, Hotel and resorts** आदि को करेंगे।

## मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण

विभाग द्वारा योजना के सफल एवं प्रभावी कियान्वयन हेतु पात्र कृषकों/किसान उत्पादक समूहों आदि को पॉलीहाउस के अन्तर्गत मौसम अनुसार पुष्प/सब्जियों के उत्पादन की नवीन वैज्ञानिक तकनीकों, भण्डारण, विपणन आदि के सम्बन्ध में निःशुल्क प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य के अन्तर्गत स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों से सहयोग प्राप्त कर किया जायेगा। विभिन्न विभागीय योजनाओं से जनपद/प्रदेश के बाहर भी Centre of Excellenceआदि में कृषकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

## प्रशिक्षण / Exposure Visit

- प्रशिक्षण / Exposure Visit केन्द्रपोषित योजनाओं (बागवानी मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना), जिला योजना, आत्मा योजना, बाह्य सहायतित योजना (JICA) के प्रशिक्षण / Exposure Visit मद अन्तर्गत प्रदान किये जायेगें।
- **मास्टर प्रशिक्षकः**– विभाग द्वारा कलस्टर स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक (विभागीय कार्मिक / कृषक) तैयार किये जायेंगे, जो समय–समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें। मास्टर प्रशिक्षकों को राज्य एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण एवं भ्रमण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। क्लस्टर लेबल ट्रेनर द्वारा ग्राम स्तर पर सम्बन्धित क्लस्टरों के कृषकों को पॉलीहाउस में सब्जी एवं पुष्प उत्पादन प्रौद्योगिकी, पौध उत्पादन, विपणन आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

## योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रूपरेखा (संलग्न प्रारूप–3)

- संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र के प्रभारी द्वारा पॉलीहाउस स्थापना का शतप्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी द्वारा कुल स्थापित पॉलीहाउसों का 20 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।
- मण्डलीय संयुक्त निदेशक स्तर से कुल स्थापित पॉलीहाउसों के 5 प्रतिशत का सत्यापन किया जायेगा।
- निदेशालय स्तर से कुल स्थापित पॉलीहाउसों के 2 प्रतिशत का सत्यापन किया जायेगा।
- मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से योजना का समय–समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा।

2– उक्त योजना के कियान्वयन के संबंध में प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश / योजना वित्त विभाग के अर्द्ध0शा0पत्र संख्या–1 / 121940 / 2023 दिनांक 15.05.2023 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

संलग्न–प्रारूप–1,2,3

भवदीय,

**Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam**
**Date: 15-05-2023 17:02:32**
(डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2—सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3—वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4—प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5—वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6—आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8—समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9—समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
10—निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11—अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग—04, उत्तराखण्ड शासन।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahima
Date: 15-05-2023 17:19:12

(महिमा)
संयुक्त सचिव

प्रारूप–1

# क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना की संतोषजनक रिपोर्ट

लाभार्थी / कृषक का नाम ............................................................ ग्राम...................................................... विकासखण्ड ...... ......................................तहसील............................................जिला...................................प्रदेश...........................................
..........स्थापित पॉलीहाउस ..................

.............................. फसल........................................................क्षेत्रफल...................................हे0

प्रमाणित किया जाता है कि मे0.......................................................................................................(कार्यदायी संस्था का नाम) के द्वारा मेरे उपरोक्त साइट पर पॉलीहाउस सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम सहित स्थापित कर दिया गया है। स्थापित किये गए पॉलीहाउस की कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य होते समय एवं कार्य समाप्ति के उपरांत फोटो एवं Geo-Tagging संलग्न है। सभी प्रकार से कार्य पूर्ण हो गया है तथा मुझको चलाकर ट्रायल दे दिया गया है। पॉलीहाउस सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम सहित सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। कार्यदायी फर्म द्वारा पॉलीहाउस सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम सहित चलाने तथा अनुरक्षण का पूर्ण प्रशिक्षण दे दिया गया है मुझे फर्म के कार्यों से कोई शिकायत नहीं है।

स्थान : ................................................

दिनांक : ................................................ लाभार्थी / कृषक के हस्ताक्षर

प्रारूप–2

## शपथ पत्र

(रू0 100 के स्टाम्प पेपर एवं नोटरी सहित)

मैं.......................................उम्र ........................ पुत्र श्री ..................................................
................निवासी ग्राम ......................................पो0 ऑ0.................. विकासखण्ड ..............
......................तहसील.............................जनपद................ पिन कोड.................शपथपूर्वक
निम्न बयान करता हूँ कि:–

1. कि शपथी उपरोक्त पते व स्थान का स्थायी निवासी है।
2. कि शपथी NABARD की क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस योजनान्तर्गत 80 प्रतिशत राजसहायता पर ................ वर्ग मी0 आकार का पॉलीहाउस का निर्माण करना चाहता है।
3. 20 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि, शपथी चयनित होने के उपरान्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग को जमा करा देगा।
4. कि शपथी द्वारा जो पॉलीहाउस लगवाया जायेगा उसका उपयोग औद्यानिक कार्यों हेतु करेगा। किसी अन्य कार्य हेतु पॉलीहाउस का उपयोग नहीं किया जायेगा।
5. शपथी द्वारा समूह में दिए गये सब्जियों/पुष्पों में से उचित एक विकल्प का चयन कर उस फसल का उत्पादन करूंगा।
6. कि शपथ द्वारा पॉलीहाउस हेतु किसी अन्य विभाग से राजसहायता प्राप्त नहीं की गयी है और न ही किसी बैंक से ऋण लिया गया है।
7. कि विभाग को यह अधिकार होगा कि पॉलीहाउस अथवा राजसहायता का दुरूपयोग करने पर मय चालू बैंक ब्याज सहित प्रदान की गयी राजसहायता की वसूली कर सकता है।
8. कि शपथी के निजी स्वामित्व में...................................... है0 भूमि दर्ज है।

शपथी का नाम .................................................

हस्ताक्षर

मैं शपथी उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा नं0 (1) लागत (8) तक अपने निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही व सत्य होना घोषित करता हूँ।

दिनांक ......................

शपथी के हस्ताक्षर

<u>प्रारूप–3</u>

# क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस स्थापना हेतु साइट निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि : ............................................................

साइट का पूर्ण विवरण : ............................................................
............................................................

निरीक्षण कर्ता का नाम: एवं पदनाम ............................................................

निरीक्षण साइट का: विवरण ............................................................

कार्यदायी फर्म का नाम: व पता ............................................................

............................................................

पॉलीहाउस की सामग्री: मे0 ............................................................

आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम : ............................................................

पॉलीहाउस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक

श्री / श्रीमती..........................................................................................

ग्राम............................पोस्ट.....................तहसील................................

जिला................ को उनकी साइट पर स्थापित पॉलीहाउस का निरीक्षण किया गया तथा दिये गए मानक के अनसुार पाया गया है। स्थापित किये गए पॉलीहाउस की कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य होते समय एवं कार्य समाप्ति के उपरांत फोटो एवं Geo-Tagging संलग्न है।

फर्म के अधिकृत सेवा अभियन्ता के हस्ताक्षर

नाम– ..................................................

पदनाम–..................................................

तिथि–..................................................

...

(सील)

कृषक का नाम–..................................................

हस्ताक्षर–..................................................

तिथि– ..................................................

प्रभारी / सहायक / उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर

नाम–..................................................

पद नाम–..................................................